फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला—जयपुर

बनाम

मुकदमा नम्बर :- /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	13/8/25	प० कं० उपस्थित। बहस सुनी/ पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खा० निस्तारण किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।
		[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

दमा नं0:–12/2023

उनवान

1. घनश्याम पुत्र मंगलचन्द,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मंगलचंद,
3. बजरंगलाल पुत्र मंगलचन्द,
4. सुभाषचंद पुत्र मंगलचंद,

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज.)।

–वादीगण–

बनाम

1. बोदूराम पुत्र नानगा, जाति बलाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील 1. चौमूँ, जिला जयपुर।
2. रामसिंह पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी झाडल्या की ढाणी, नीमडावाली ढाणी, तन खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

3. किरण देवी पुत्री मंगलचंद
4. ग्यारसी देवी पत्नी मंगलचन्द
5. प्रेम देवी पुत्री मंगलचंद
6. श्रवणी देवी पुत्री मंगलचंद

समस्त जाति बागडा ब्राम्हण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–13.08.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए. भू–अभि. नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 6414/9140 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6415/9141 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6431 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6432/9148 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर स्थित है जो सम्पूर्ण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमिया वाद पत्र में विवादित है जिन्हें वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात के लगवा पश्चिम दिशा में भूमि आराजी खसरा नम्बर 6420/8163 व 9338/6421 स्थित है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 9338/6421 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 ने बैचान कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने भूमि खसरा नम्बर 6420/8163 पर

mnl

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा कर रखा है तथा अब आये दिन वादीगण की भूमि की सींव डोल में छेडछाड रहते है तथा वादीगण की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है व जबरिया दीगण की भूमि पर सींव डोल फोडकर कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चले आ रहे है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात पंर अपनी भूमि में कच्ची डोल व तारबन्दी कर रखी है। विवादित आराजीयात के काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण वादीगण को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के पडौसी है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आये दिन वादीगण की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव डोल, कच्ची डोल एवं सीमा चिन्हों में तोड–फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी विधि विरूद्ध उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 23.01.2023 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादीगण की सम्पत्ति में प्रवेश करने की नियत से उनकी भूमि में कायम सीमा चिन्ह एवं कच्ची मिट्टी की डोल को क्षतिग्रस्त कर जबरिया वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया एवं तारबन्दी को उखाडने लगे जिसका विरोध वादीगण द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर देंगे तथा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देंगे, जिसमें यदि वादीगण ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नही होगा जिस कारण वाद वादीगण श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 6414/9140 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6415/9141 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6431 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6432/9148 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू–अभि. नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नही करें, ना ही विवादित भूमि पर बनी

Scanned with OKEN Scanner

कच्ची डोल को तोडे, ना ही सीमा चिन्हों को खुर्द–बुर्द करें, ना ही खड्डे खोदें, ना ही गाडे, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि जबरिया कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मचारी या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 6414/9140, खसरा नम्बर 6415/9141 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डूब क्षेत्र की भूमि हैं, उक्त नम्बरो पर वादीगण का कब्जा नही होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा हैं। वादीगण का उक्त नम्बरो पर गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर गलत तथ्यों पर वाद पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का मात्र खसरा नम्बर 6431, 6432/9148 पर ही काबिज काश्त हैं। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 6414/9140, खसरा नम्बर 6415/9141 के उत्तर दिशा में भूमि खसरा नम्बर 6120/8163 व खसरा नम्बर 9338/6421 स्थित हैं, ना कि पश्चिमी दिशा में। खसरा नम्बर 6414/9140, खसरा नम्बर 6415/9141 की भूमि पर वादीगण का कब्जा नही होने के कारण विधि में वादीगण का वाद चलने योग्य नही हैं। जिस कारण वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादीगण का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। खसरा नम्बर 6414/9140, खसरा नम्बर 6415/9141 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डूब क्षेत्र की भूमि हैं तथा उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त के अभाव में तथा वादीगण का उक्त नम्बरो पर गलत इन्द्राजात होने के कारण वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाने योग्य प्रतित है अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–12/2023

उनवान

1. घनश्याम पुत्र मंगलचन्द,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मंगलचंद,
3. बजरंगलाल पुत्र मंगलचन्द,
4. सुभाषचंद पुत्र मंगलचंद,

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज.)।

–वादीगण–

बनाम

1. बोदूराम पुत्र नानगा, जाति बलाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील 1. चौमूँ, जिला जयपुर।
2. रामसिंह पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी झाडल्या की ढाणी, नीमडावाली ढाणी, तन खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

3. किरण देवी पुत्री मंगलचंद
4. ग्यारसी देवी पत्नी मंगलचन्द
5. प्रेम देवी पुत्री मंगलचंद
6. श्रवणी देवी पुत्री मंगलचंद

समस्त जाति बागडा ब्राम्हण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–12/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.08.2025 को जारी किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–12/2023
उनवान–घनश्याम बनाम बादूराम वगै0
निर्णय दिनांकः 13.08.2025

माहिर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Scanned with OKEN Scanner